

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 39/2017 एवं 40/2017 जिला सीकर

भंवरी देवी आयु 56 वर्ष, पत्नी स्व. भगवानाराम, जाति जांगिड, निवासी खातीपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्त

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी श्री हरिश, जाति जांगिड, निवासी ग्राम सिंहासन, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ  
जिला सीकर दिनांक 10.11.2015

✓अपील संख्या 40/2017 जिला सीकर

भंवरी देवी आयु 56 वर्ष, पत्नी स्व. भगवानाराम, जाति जांगिड, निवासी खातीपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्त

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी श्री हरिश, जाति जांगिड, निवासी ग्राम सिंहासन, तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ
3. मुकुन्द सिंह पुत्र श्री गंगासिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंहासन, तहसील व जिला सीकर, हाल निवासी न्यायालय परिसर जिला न्यायालय, सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जयपुर

अपील विरुद्ध नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 तहसीलदार लक्ष्मणगढ  
जिला सीकर

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्त श्री अमित बियाला
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
3. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक — 16.10.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के आदेश दिनांक 10.11.2015 एवं इस आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का

निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्राम खातीपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 4.7000 हैक्टेयर के खातेदार भंवरी बेवा भगवाना, नथूराम पुत्र भगवाना हिस्सा 1/3 दर रकबा 2.98 हैक्टेयर राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा लक्ष्मणगढ मूर्तहीन एवं खसरा नम्बर 56/2 रकबा 0.57 हैक्टेयर में हिस्सा 1/12 हि.ब. दर्ज थे । खातेदार नथूराम के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण खुलवाने हेतु नथूराम की माता भंवरी देवी पत्नि स्व. भगवानाराम द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ को दिनांक 28.5.2015 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "खेत खसरा नंबर 128 रकबा 2.98 हैक्टेयर वाके ग्राम खातीपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में प्रार्थिया एवं उसके पुत्र स्व. नथूराम का 1/3 हिस्सा है । प्रार्थिया के पुत्र नथूराम की मृत्यु दिनांक 18.6.2013 को हो चुकी है । इसलिए स्व. नथूराम के खाते की भूमि प्रार्थिया अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिनी है । अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 128 रकबा 2.98 हैक्टेयर वाके ग्राम खातीपुरा पटवार हल्का जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में स्व. नथूराम का हिस्सा प्रार्थिया के नाम दर्ज करने की कृपा करें" । मृतक खातेदार नथूराम की माता भंवरी देवी पत्नि स्व.भगवानाराम के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने निर्णय दिनांक 10.11.2015 द्वारा मृतक नथूराम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 2(2) की परिधि में आने से इस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अक्षरशः लागू होना स्पष्ट रूप से जाहिर होने, जिसके मुताबिक मृतक नथूराम के प्रथम वर्ग के वारिसान में उसकी विधवा सावित्री देवी एवं माता भंवरी देवी वर्तमान में मौजूद होने एवं मृतक की पत्नी सावित्री देवी द्वारा उसके पति नथूराम की मृत्युपरान्त अन्य व्यक्ति से पुनः विवाह कर लिया जाना जाहिर है तथापि कानूनी प्रावधानों (न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल राज. अजमेर) द्वारा रिवीजन नं. 131/टोंक 1974 निर्णय दिनांक 3.1.1978 उनवानी "जगदीश विरूद्ध मुसम्मात मनहर" (1978 आर.आर.डी. पेज 44 में प्रतिपादित) के मुताबिक पुनः विवाह के उपरान्त भी किसी हिन्दू व्यक्ति की विधवा पत्नी को अपने स्वर्गीय पति की सम्पत्ति पर **चित्रा** **अतिरिक्त** **संज्ञा** **अधिकार** रखने से वंचित नहीं रखा जा सकता । मृतक नथूराम की विरासत प्रथम **व्यक्ति** के विधिक वारिसान उसकी पत्नी सावित्री देवी व माता भंवरी देवी के नाम बराबर बराबर दर्ज किया जाना विधिसम्मत होने से उक्तानुसार विरासत दर्ज किये जाने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान किये गये । तहसीलदार लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 10.11.2015 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 39/2017 पर दर्ज की गई है ।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक दिनांक 10.11.2015 की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने मृतक खातेदार नथूराम पुत्र भगवाना राम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 मुताबिक निर्णय स्वीकृत किया गया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 40/2017 पर दर्ज की गई है ।

अपीलार्थी ने दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 10.11.2015 एवं नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 निरस्त किये जाने एवं नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 21.5.2015 के किसी भी भाग का नामांतरकरण रेस्पोंडेंट संख्या 1 सावित्री देवी के नाम तस्दीक नहीं किये जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान दोनों अपीलों के अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार नथूराम पुत्र भगवानाराम की विरासत का नामांतरकरण खोलने हेतु अपीलार्थी भंवरी देवी पत्नी भगवाराम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2015 प्रकरण सही तथ्यों को नजरन्दाज कर, विधिक प्रावधानों का उल्लघन करते हुये अपीलार्थी के साथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सावित्री देवी के नाम आधे हिस्से का नामांतरकरण करने का पारित किया है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट सावित्री देवी द्वारा अपने पति नथूराम की मृत्यु दिनांक 17.9.2013 के पश्चात दिनांक 7.7.2014 को हरिश पुत्र रामरतन निवासी सिंहासन से पुनर्विवाह कर लिया था तब से उसका पूर्व ससुराल जसरासर में कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ओर वह अपने नए पति हरीश के साथ सिंहासन में निवास कर रही है । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर ऋण लिया हुआ था जिसकी बकाया रकम जमा कराकर ऋण खाता दिनांक 26.3.2015 को अपीलार्थी ने बन्द करवाया था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में भी पुनर्विवाह के तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है । उनका कहना था कि कानूनन एक व्यक्ति दो-दो जगह लाभ नहीं ले सकता, अधीनस्थ न्यायालय ने जिन कानूनी नजीरों को अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया है, उनकी गलत व्याख्या की गई जबकि नजीरें इस प्रकरण में लागू नहीं होती । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 विधिक एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार नथुराम की वारिस नहीं होने से नथुराम की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम करवाने की अधिकारी नहीं है क्योंकि उसने हरिश पंवार से पुनर्विवाह कर लिया है एवं उसके साथ निवास कर रही है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ का अपीलाधीन आदेश एवं उसकी अनुपालना में तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण प्रकरण के तथ्यों के विपरीत, विधि विरुद्ध एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे । उनके द्वारा आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1084, ए.आई.आर. 1976 सुप्रीम कोर्ट 2595, आर.आर.डी. 1961 पेज 162 एवं आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 108 न्यायिक नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से बहस के दौरान कोई हाजिर नहीं आये । राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा मृतक खातेदार नथुराम की विरासत के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश एवं तस्दीक नामांतरकरण विधि अनुकूल है । अतः अपीलाधीन आदेश एवं नामांतरकरण को यथावत रखते हुये दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार नथूराम की विरासत के नामांतरकरण का है । अपीलार्थी भंवरी देवी मृतक खातेदार नथुराम की माता होने के आधार पर अकेली एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सावित्री देवी मृतक खातेदार नथूराम की पूर्व पत्नी होने के आधार पर नथुराम की भूमि में हक चाहती है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा नथूराम की प्रथम वर्ग की विधिक वारिस उसकी पत्नी सावित्री देवी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व माता भंवरी देवी अपीलार्थी के नाम बराबर

बराबर भूमि दर्ज किया जाना विधिसम्मत मानते हुये उक्तानुसार विरासत दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 पारित किया है तथा इस आदेश की अनुपालना में अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 स्वीकृत किया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार नथुराम की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मृतक नथुराम के प्रथम वर्ग के विधिक वारिस में उसकी विधवा सावित्री देवी एवं माता भंवरी देवी के नाम बराबर बराबर दर्ज किये जाने के तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 पारित किये हैं तथा इस आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 तस्दीक किया है, जिनमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होती। अतः हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 10.11.2015 एवं अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 778 दिनांक 8.12.2015 उचित एवं विधिसम्यक है एवं दोनों अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 16.10.2018 को सुनाया गया।

चित्रा  
( चित्रा गुप्ता )  
अतिरिक्त सहायक आयुक्त  
आति सम्भागीय आयुक्त  
जयपुर